न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:—जीसीएमएस नम्बर 2025/1042

1. ताहिर मौहम्मद पुत्र श्री इमाम खॉ निवासी सैमला खुर्द तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:—

1. श्री रामबाबू शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांक: 09.02.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2025 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 पारित द्वारा रेस्पोडेन्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर का होने से अपील साधारणतया अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष दिनांक 27.01.2025 को इस अमर का पेश किया कि अपीलार्थी के पिता को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 198/आरपी/अलवर पर दर्ज शस्त्र अनुज्ञा रिवाल्वर नम्बर सी—8537 को विरासतन जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना की। प्रकरण में जांच सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक अलवर से करायी गई जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने अपनी जांच पत्र क्रमांक 2659 दिनांक 11.03.2025 द्वारा अपीलार्थी को गंभीर एवं आसन्न खतरे का कोई कारण नही बताया गया तथा सम्बन्धित वृत्ताधिकारी की जांच के आधार पर अपीलार्थी को विरासतन आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अभिशंषा नही की गई थी एवं अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 354/2013 दिनांक 29.03.2013 अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज हुआ जिस प्रकरण में अपीलार्थी की विरूद्ध चार्जशीट संख्या 314 दिनांक 16.04.2025 किता कर पेश न्यायालय की गई। जिसमें बाद विचारण माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अलवर द्वारा दिनांक 07.06.2024 को निस्तारण करते हुये अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया, आदि के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.03.2025 को अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुये निस्तारण कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने पिता के समस्त वारिसान जो अपीलार्थी के भाई—बहिन है, के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करवा दिया गया था तथा उपरोक्त वर्णित अपराधिक प्रकरण जिसमें अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया था एवं अपीलार्थी के पिता के

P.T.O.

पैरालाईसेस (लकवागस्त) होने के कारण अपीलार्थी के पिता उक्त वर्णित शस्त्र का उपयोग करने मे असक्षम होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त वर्णित लाईसेन्स एवं रिवाल्वर को अपीलार्थी के नाम विरासतन जारी किये जाने का निवेदन किया गया था, जो प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2025 को जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 के द्वारा खारिज फरमा दिया गया। जो आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अलवर से जांच करायी गई थी व जांच जिला पुलिस अधक्षीक अलवर द्वारा बिना जांच कराये ही प्रस्तुत कर दी गई जबकि जिला पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा न तो सम्बन्धित थाने व सम्बन्धित अधिकारियों से अपीलार्थी के गांव मे जाकर अपीलार्थी के आचरण व जीवन के जोखिम के बारे में बिना जांच किये ही रिपोर्ट पेश की। जिस जांच रिपोर्ट पर ही मात्र विश्वास करके बिना कोई गवाहान व अपीलार्थी के गांव के मौजूद व्यक्तियों की साक्ष्य पेश नही की गई है। ऐसी जांच तथ्यहीन व अतार्किक होने के कारण ही संदेहास्पद होती है, जिस जांच पर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 काबिले मनसुखी है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण संख्या 23/348/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना गोविन्दगढ़ पर अपराध दर्ज हुआ था। जिस प्रकरण में बाद विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया था। इस तथ्य पर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई गौर नही करके अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 पारित किया है, जो मनमानेपूर्ण एवं खिलाफ पत्रावली पारित किया गया है जो आदेश भी उक्त वर्णित तथ्यों की रोशनी में काबिले मनसूखी है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2025 को मनसूख फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट को आदेश दिये जावे कि वे अपीलीन्ट के पिता श्री इमाम खॉ पुत्र श्री मलखां को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 198/आरपी/अलवर पर दर्ज शस्त्र 32 बोर रिवाल्वर नम्बर सी–8537 को विरासतन जारी किये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र की जांच/सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने अपने पत्राक 2659 दिनांक 11.03.2025 द्वारा अपीलार्थी को गंभीर एवं आसन्न खसरे का कोइ कारण नही बताया गया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 354/2013 दिनांक 29.03.2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना कोतवाली अलवर में दर्ज हुआ जिसमें चार्जशीट संख्या 314 दिनांक 16.04.2013 को किता कर पेश न्यायालय की गई। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 अलवर दिनांक 07.06.2024 को संदेह का लाभ देर दोषमुक्त किया जाना अवगत कराया है तथा सम्बन्धित वृताधिकारी की जांच के आधार पर अपीलार्थी ताहिर मौहम्मद पुत्र श्री इमाम खॉ को विरासतन आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अभिशंषा नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा लाईसेन्सी के वारिस को आर्म्स लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक अलवर से रिपोर्ट चाहे जाने पर पुलिस अधीक्षक अलवर के पत्रांक 2659 दिनांक 11.03.2025 के अनुसार आवेदक के

विरूद्ध मुकदमा नम्बर 354/2013 दिनांक 29.03.2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ है, जिसमें चार्जशीट संख्या 314 दिनांक 16.04.2013 पेश न्यायालय की गई तथा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट–2 अलवर द्वारा दिनांक 07.06.2024 को संदेह का लाभ दिया गया है एवं प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक की आत्मसुरक्षार्थ आर्म्स लाईसेन्स की आवश्यकता के कारण संतोषजनक नही बताया गया है तथा पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा अपीलार्थी को आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा नही की गई है एवं प्रकरण में विरासतन लाईसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में अपीलाथी के पिता द्वारा सहमति भी नही दी गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2025 को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।